

स्पीड पोस्ट/ई-मेल

संख्या-6/एफ1-09/2025 श्र0सं0- 3771

बिहार सरकार

श्रम संसाधन विभाग (श्रम पक्ष)

प्रेषक,

मनीष कुमार,
सहायक श्रमायुक्त।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी, दरभंगा/नवादा/जमुई/मुजफ्फरपुर/मुंगेर/वैशाली एवं सीतामढ़ी।

पटना, दिनांक- 30/06/2025

विषय:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्य शीर्ष-2230- श्रम, रोजगार और कौशल विकास- उप मुख्य शीर्ष-01-श्रम-114-उत्प्रवासी श्रम कल्याण- मांग संख्या-26-उपशीर्ष-0102-अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों के पुनर्वापसी पर व्यय, विपत्र कोड-26-2230011140102 (सामान्य श्रेणी) एवं विपत्र कोड-26-2230017890103 (अनुसूचित जाति), के अन्तर्गत **CFMS2.0 Software** से निर्गत किये गये आवंटन के संबंध में।

महाराज,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विन विभाग से प्राप्त दिशा निर्देश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान-गैर वतन मद में प्राप्त बजट उपबंध के विरुद्ध CFMS2.0 Software से निर्गत किये गये आवंटन का विवरण निम्नवत है:-

2. सामान्य कोटि (विपत्र कोड-26-2230011140102) के मृत प्रवासी श्रमिकों के बंध आश्रितों का विषय शीर्ष-31.06 सहायक अनुदान गैर वतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹1,00,000/-मात्र एवं ₹2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक एवं स्थायी आंशिक निःशक्त श्रमिक को ₹37,500 मात्र की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र0 स0	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	दरभंगा	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापक-1538, दिनांक-03.06.2025 के आलोक में। (1) आवेदिका-जुवेदा खातुन (पत्नी), पति-स्व0 मोहम्मद अली बाबू, ग्राम+पो0+था0+प्र0-अलीनगर, जिला-दरभंगा।
		01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, दरभंगा के ज्ञापक-1537, दिनांक-03.06.2025 के आलोक में। (2) आवेदिका-पिंकी मिश्रा (पत्नी), पति-स्व0 विजय मिश्रा, ग्राम+पो0-बहुअरवा, था0+प्र0-मनीगाछी, जिला-दरभंगा।
2	नवादा	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापक-675, दिनांक-09.06.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 राकेश कुमार उर्फ राकेश कुमार सिंह, आश्रित-मंजु देवी (पत्नी), ग्राम+पो0-खनवाँ, था0+प्र0-नरहट, जिला-नवादा।
3	जमुई	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक-442, दिनांक-31.05.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व0 मिन्दू सिंह, आश्रित-गुडडी देवी (पत्नी), ग्राम+पो0-अकौनी, था0+प्र0-सिकन्दर, जिला-जमुई।

4	मुजफ्फरपुर	01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-2140, दिनांक-30.05.2025 के आलोक में। (1) आवेदिका-बदरुन निशा (पत्नी), पति-स्व० मो० रूस्तम अली, ग्राम-लदौरा, वार्ड नं०-07, पोस्ट-लदौरा पकड़ी, था०+प्र०-कुदनी, जिला-मुजफ्फरपुर।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के ज्ञापांक-2141, दिनांक-30.05.2025 के आलोक में। (2) आवेदिका-सरताज खातून (माता), पुत्र-स्व० मो० कुदुस, ग्राम-अब्दुल नगर उर्फ माधोपुर, वार्ड नं०-08, पोस्ट-प्रधान डाकघर, थाना-अहियापुर, प्रखंड-मुशहरी, जिला-मुजफ्फरपुर।
6	मुंगेर	01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, मुंगेर के ज्ञापांक-1012, दिनांक-04.06.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० सुबोध सिंह, आश्रित-गायत्री देवी (पत्नी), ग्राम+पो०+था०-हरिणमार, प्रखंड-बरियारपुर, जिला- मुंगेर।
7	वैशाली	01	37,500/-	जिला पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक-820, दिनांक-02.06.2025 के आलोक में। (1) आवेदक-श्री कौशल किशोर, पिता-श्यामनंदन साह, ग्राम-पोहियार बुजुर्ग, पोस्ट-पोहियार, थाना-देसरी, जिला-वैशाली।
		01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, वैशाली के ज्ञापांक-821, दिनांक-02.06.2025 के आलोक में। (2) मृतक-स्व० सुधीर कुमार सहनी, आश्रित-गुंजा देवी (पत्नी), ग्राम+पो०-बलहा बसंत, था०+प्र०-लालगंज, जिला-वैशाली।
8	सीतामढ़ी	01	2,00,000/-	जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के ज्ञापांक-733, दिनांक-31.05.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० जवाहर राय, आश्रित-पुनीता देवी (पत्नी), ग्राम-बाधासाती, पोस्ट-डुमहरापटी, था०+प्र०-पुपरी, जिला-सीतामढ़ी।

3. अनुसूचित जाति (विपत्र कोड-26-2230017890103) के मृत प्रवासी मजदूरों के वैध आश्रितों को विषय शीर्ष 31.06 सहायक अनुदान गैर वेतन मद में भुगतान के लिए रुपये ₹1,00,000/-मात्र एवं ₹2,00,000/-मात्र प्रति मृत प्रवासी श्रमिक की दर से आवंटित अनुदान की राशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	जिला का नाम	मृतकों की संख्या	आवंटित राशि (रु०)	(अभ्युक्ति) मृतक का नाम एवं पता
1	नवादा	01	1,00,000/-	जिला पदाधिकारी, नवादा के ज्ञापांक-676, दिनांक-09.06.2025 के आलोक में। (1) मृतक-स्व० अजय कुमार उर्फ अजय चौधरी, आश्रित-सिताव देवी (माता), ग्राम-जेहलडीह, पो०+प्र०-सिरदला, जिला-नवादा।

4. यह राशि विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-2254, दिनांक-02.05.2025 के आलांक में चालू वित्तीय वर्ष-2025-26 में "बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजनान्तर्गत" अनुदान की राशि 2,00,000/- (दो लाख) मात्र एवं 1,00,000/- (एक लाख) मात्र प्रति मृतक प्रवासी श्रमिक की दर से, उनके आश्रित को भुगतान हेतु, आवंटित की गयी है।
5. अनुरोध है कि बिहार राज्य प्रवासी मजदूर दुर्घटना अनुदान योजना नियमावली, 2008 के तहत जाँच पड़ताल करके राशि का भुगतान किया जाय। भुगतान के पश्चात् इसका उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को ई-मेल/स्पीड पोस्ट द्वारा शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

6. यह आवंटन वित्त विभाग के पत्रांक-256/वि0 दिनांक-26.02.19, पत्रांक-732/वि0 दिनांक-31.07.19 एवं वित्त आयुक्त के स्थायी ज्ञापक-2561/वि0 (2) दिनांक 17.04.98 के आलाोक में है।
7. अनुरोध है कि इस आवंटित राशि से किसी भी परिस्थिति में अधिक व्यय नहीं किया जाय। यदि आवंटित राशि से अधिक व्यय किया जाता है, तो वह अनियमित होगा।
8. अनुरोध है कि आवंटित राशि से हुए व्यय की सूचना विहित प्रपत्र में, आवश्यक टी0भी0 नं0 तथा तिथि के साथ, निकासी के उपरांत, अविलम्ब सक्षम प्राधिकार को निश्चित रूप से उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।
9. विभागीय अधिसूचना सं.-1/आई.एम.एल.-06/2016 श्र.सं.-3023 दि.-14.07.16 के आलाोक में लाभुकों को अनुदान की राशि का भुगतान RTGS (Real Time Gross Settlement) पद्धति से उनके बैंक खाते में किया जायेगा।
10. अनुरोध है कि आवंटित राशि को, नियमानुसार जाँच कर, उन्ही मृतक के आश्रित/आंशिक अपंग/पूर्ण अपंग प्रवासी मजदूरों को उपलब्ध कराया जाय, जिन्हें पूर्व में इस हेतु लाभांवित नहीं किया गया हो।
11. यह आवंटन राज्य योजना से संबंधित है।
12. श्रमायुक्त, श्रम संसाधन विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह/०

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त।

ज्ञापक: 6/एफ1-09/2025 श्र0सं0-

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:- सचिव के आप्त सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित कोषागार एवं उप कोषागार पदाधिकारी/संबंधित उप श्रमायुक्त/संबंधित सहायक श्रमायुक्त/संबंधित श्रम अधीक्षक/संयुक्त श्रमायुक्त-2, प्रभारी प्रशाखा-01, श्रम पक्ष एवं व्यय विवरणी शाखा प्रशाखा-6, श्रम पक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ तथा आई०टी०मैनेजर, श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

2. उपयोगिता प्रमाण-पत्र का संधारण संबंधित योजना शाखा (प्रशाखा-01) द्वारा किया जायेगा।

सभी संबंधित उप श्रमायुक्त, सहायक श्रमायुक्त एवं श्रम अधीक्षक से अनुरोध है कि वे संबंधित जिला पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर आवंटित किये गये राशि के विरुद्ध नियमानुसार शत प्रतिशत व्यय करने हेतु अनुरोध करेंगे एवं कृत कार्रवाई से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत कराने की कृपा करेंगे।

विश्वासभाजन

Signed by Manish Kumar

Date: 27-06-2025 18:24:30

मनीष कुमार,

सहायक श्रमायुक्त,

बिहार, पटना।